तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज
14/06/2019	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण की ओर से वकील प्रार्थी ने प्रकरण को अर्जेन्ट नेचर का बताते हुए प्रार्थना पत्र वास्ते अर्जेन्ट सुनवाई पेश किया जिस पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 13 के नोटिस पूर्व मे तामिल हो चुके हैं लावजूद नोटिस तामिल के अप्रार्थी संख्या 01 से 11 अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिसमे कथन किया कि मौजा बूची के खसरा न. 857/2 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा प्रार्थी व अप्रार्थी सं 1 से 11 की सहखातेदारी की भूमि है जिसमे मौके पर हिस्सा नुसार बंटवारा किया हुआ है प्रार्थी ने लाखो रू की लागत से भूमि को व्यवस्थित किया है और उस पर दीवार खडी की है उक्त भूमि को अप्रार्थीगण बेचान करने की धमकी दे रहे हैं। प्रार्थी ने बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मे तीन सिद्धान्तो पर गौर किया जाना होता है प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे है क्योकि प्रार्थी उक्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थी ने बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है, अप्रार्थी उक्त भूमि का बेचान करता है तो वाद बाहुल्यता होगी और वाद का उद्देश्य

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज | नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

समाप्त हो जाएगा। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है क्योकि दौराने वाद उक्त भूमि का बेचान होता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिस कारण से सुविधा का सतुंलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। यदि मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो इसके अभाव मे अप्रार्थीगण उक्त भूमि का बेचान कर सकते है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। वकील प्रार्थी के द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त R.R.D 2010 पेज 96 उक्त प्रकरण पर चस्पा होता है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने एवम न्यायिक दृष्टांत के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 01 से 11 को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित अराजी के रेकर्ड की मूल वाद के निर्णय तक यथास्थिति बनाई रखी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो मूल वाद से संलग्न हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner